

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-296/2026 दिनांक-23.10.2026)
***दिनांक-23.10.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना चौराखास साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर फ्रॉड के कुल 30,000/- अलग-अलग पीड़ितों को वापस कराए गए

थाना चौराखास, जनपद कुशीनगर की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए MRM पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग पीड़ितों की कुल ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) की धनराशि वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने से पीड़ितों को राहत मिली।

वापस कराई गई धनराशि का विवरण

- 1- बनकटा निवासी पीड़ित के ₹25,000/- वापस कराए गए।
- 2- बदुराव निवासी पीड़ित के ₹5,000/- वापस कराए गए।

कुल वापस कराई गई धनराशि: ₹30,000/-

साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल करें शिकायत-

जनसामान्य को जागरूक किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है, तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। समय से शिकायत करने पर ठगी की धनराशि को होल्ड कराने एवं वापस प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है।

जनपद कुशीनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहें तथा स्वयं और अपने परिवार को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखें।



साइबर हेल्प डेस्क थाना चौराखास, जनपद कुशीनगर

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० अरविन्द कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3. कम्प्यूटर आपरेटर सुमित कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
4. म०का० सिमरन यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

👉 थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा नकबजनी/चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण

👉 एक शातिर चोर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिलें, विभिन्न आभूषण(पीली व सफेद धातू) तथा तीन हजार रुपये नगद बरामद

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी कसया डॉ. अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा चोरी/नकबजनी के घटना का खुलासा किया गया है।

थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में हुए चोरी/नकबजनी के घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर तथा क्षेत्राधिकारी कसया के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिसमें क्रम में आज दिनांक 23.10.2026 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी लखिमा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से चोरी के दो अदद मोटरसाइकिलें(विभिन्न कम्पनी के), विभिन्न आभूषण(पीली व सफेद धातू) तथा 3,000 रुपया नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 220/2026 पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त का एक लंबा अंतरजनपदीय आपराधिक इतिहास रहा है (जिसमें कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज के विभिन्न थानों में 25 मुकदमे पंजीकृत हैं) और वह पूर्व में 1 वर्ष तक जेल में रहने के बाद मार्च माह में ही जमानत पर बाहर आया था।

पूछताछ के दौरान शातिर अभियुक्त दिनेश यादव ने बताया कि वह अकेले ही चोरी करता है ताकि चोरी की रकम में किसी अन्य को हिस्सा न देना पड़े और अपराध की गोपनीयता पूरी तरह बनी रहे। वह मुख्य रूप से उन मकानों को अपना निशाना बनाता था जहाँ लोग ताला बंद करके बाहर गए होते थे या फिर बहुमंजिला इमारतों के उन तलों को चुनता था जहाँ सन्नाटा और सुनसान माहौल रहता था। बंद मकानों में प्रवेश करने के लिए वह आरी और छिनी से मुख्य दरवाजे को तोड़ देता था तथा चोरी किए गए सामान को अपने घर या सुनसान झाड़ियों में छिपाकर रखता था।

अनावरित/पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 141/2026 में धारा 331(4), 305(a), 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 180/2026 में धारा 331(4), 305(a), 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 220/2026 धारा 317(2)/ 317(4), 317(5) बीएनएस थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त

दिनेश यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी लखिमा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1- 02 अदद मोटरसाइकिल (हीरो पैशन प्रो एवं TVS XL Super)
- 2- पीली धातु (सोना): 1 जोड़ी झाला, 2 जोड़ी बाली एवं 1 अंगूठी



3- सफेद धातु (चांदी): 1 जोड़ी पायल

4- नगद: ₹ 3,000/-

अभि० दिनेश यादव का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 615/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. मु०अ०सं० 127/2005 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. मु०अ०सं० निल/2005 धारा 41/411 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. मु०अ०सं० 380/2005 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
5. मु०अ०सं० 38/2005 धारा 379/411 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
6. मु०अ०सं० 1381/2005 धारा 379/411 भादवि थाना कैंट जनपद गोरखपुर
7. मु०अ०सं० 470/2007 धारा 379/411/413 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
8. मु०अ०सं० 58/2007 धारा 41/411 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कसया ज नपद कुशीनगर
9. मु०अ०सं० 196/2009 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
10. मु०अ०सं० 83/2010 धारा 110 गुण्डा एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
11. मु०अ०सं० 734/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
12. मु०अ०सं० 236/2012 धारा 379/411 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
13. मु०अ०सं० 663/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
14. मु०अ०सं० 179/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
15. मु०अ०सं० 58/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

16. मु0अ0सं0 189/2019 धारा 60(2) आ0अधि0 व 272 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
17. मु0अ0सं0 40/2020 धारा 41/411/413 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
18. मु0अ0सं0 41/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
19. मु0अ0सं0 44/2020 धारा 279/337/338/379/411/413 भादवि थाना निचलौल जनपद महाराजगंज
20. मु0अ0सं0 422/2021 धारा 60 आ0अधि0 व 272 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
21. मु0अ0सं0 192/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
22. मु0अ0सं0 454/2024 धारा 379/411 भादवि थाना गुलरहिया जनपद गोरखपुर
23. मु0अ0सं0 92/2025 धारा 307/317(4)346 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
24. मु0अ0सं0 182/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
25. मु0अ0सं0 786/2026 धारा 303(3)/317(2) बीएनएस थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 अविनाश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर मय टीम
- 3.उ0नि0 विपिन सिंह थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर मय टीम
- 4.हे0का0 पवनेश पाण्डेय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 5.का0 अनिल यादव, थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 6.का0 पंकज यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 7.का0 अमन कुमार सिंह थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

**थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण,
चोरी किये गये सामान व चोरी करने के उपकरण के साथ 02 नफर
अभियुक्त गिरफ्तार-**

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.10.2026 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 300/2026 धारा 305(A), 331(4), 317(2) BNS से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान व चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका-

पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये लोग पहले दूर दराज के गावों में घुम घुम कर रेकी करते हैं तथा बाद में फिर मौका पाकर घरों व दुकानों में चोरी करते हैं तथा दूसरे गांव या मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 300/2026 धारा 305(A), 331(4), 317(2) BNS
थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सन्तोष उर्फ विपत कुशवाहा पुत्र पारस कुशवाहा वार्ड नम्बर 17 भोदसी पिंडारी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. राजेन्द्र पुत्र छट्टू वार्ड नम्बर 17 भोदसी पिंडारी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद इन्वर्टर बैटरी
2. 8.5 लीटर बैल कोल्हू सरसो का तेल
3. 3.750 किलो फार्चून रिफाईन तेल

4. 3,010/- रुपये नकद
5. एक अदद पेंचकस, एक अदद पिलास, एक अदद लोहे का सब्बल
6. एक अदद सीज सुदा वाहन हीरो स्पलेन्डर प्रो

अभियुक्त राजेन्द्र कुशवाहा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0. 235/2017 धारा 380,411,457 भादवि, थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया
2. मु0अ0सं0 62/2005 धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

अभियुक्त सन्तोष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 126/2010 धारा 110(जी) थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 152/2009 धारा 22,8 NDPS ACT थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 153/2009 धारा 25,3 आयुध अधिनियम थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4. मु0अ0सं0 214/2017 धारा 323,504,506 भा दं सं थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5. मु0अ0सं0 338/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
6. मु0अ0सं0 97/2006 धारा 25 Arms act थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
7. मु0अ0सं0 252/2006 धारा 3/25 Arms act थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
8. मु0अ0सं0 253/2006 धारा 8/20 NDPS ACT थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
9. मु0अ0सं0 481/2008 धारा 4/25 Arms Act थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
10. मु0अ0सं0 235/2017 धारा 457,380,411 भादवि थाना गौरिबाजार जनपद देवरिया
11. मु0स0सं0 567/2006 धारा 380,411,457 भा दं सं थाना घुगली जनपद महाराजगंज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO श्री संजय दुबे थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विकास मौर्य थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 अतुल तिवारी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4. का0 सत्येन्द्र चौहान थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
5. रि0का0 मूलचन्द जायसवाल थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास आदि के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त तलवार के साथ किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.10.2026 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 586/26 धारा 109(1),352,351(3) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद तलवार के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 586/26 धारा 109(1),352,351(3) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

आलोक उर्फ अखिलेश पुत्र महेन्द्र सिंह साकिन बंगाली पट्टी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर हाल मुकाम तुलसी आवास विकास कालोनी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद तलवार

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।



2. उ०नि० श्री शिवम द्विवेदी चौकी प्रभारी सुभाष चौक थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
3. का० जयकान्त चौहान थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का० राजू थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का० नीलेश यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा 90 पाउच अवैध बन्टी बबली देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री, परिवहन व निष्कर्षण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.10.2026 को थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 90 पाउच अवैध बन्टी बबली देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 217/2026 धारा 60 आ० अधि० थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

लालमन सिंह पुत्र स्व रामअवतार सिंह साकिन सिकटा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

90 पाउच अवैध बन्टी बबली देशी शराब कुल 18 ली० बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० बब्बन यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
2. का० नागेन्द्र थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 59 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।



***कार्यवाही एक नजर में-**

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-24 वाहन
2. 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही- मु0- 75, व्यक्ति-193
3. वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी- (कुल 64)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

